रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052023-245943
CG-DL-E-18052023-245943

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2132] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 18, 2023/वैशाख 28, 1945
No. 2132] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 18, 2023/VAISAKHA 28, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,18 मई, 2023

का.आ. 2226(अ).—तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) का खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006, द्वारा प्रकाशित अधिसूचना जारी की है, जो इसकी अनुसूची में आने वाली परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा के संबंध में है ; और

और, कम कार्बन उत्सर्जन के माध्यम से विकास करने की भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा का निर्बाध एकीकरण करना तथा बेहतर ग्रिड सुरक्षा और स्थायित्व प्राप्त करना आवश्यक है, ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता बढ़ रही है और इसके द्वारा पंपयुक्त भंडारण संयंत्रों (पीएसपी) का विकास महत्वपूर्ण है।

और, पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रयोजन के लिए पंप भंडारण परियोजनाओं को जलविद्युत परियोजनाओं की श्रेणी में माना जाता है।

और, परंपरागत जल विद्युत परियोजनाओं तथा सिंचाई और जलापूर्ति परियोजनाओं की तुलना में ऐसी परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव कम होते हैं और इसलिए पंप भंडारण परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाना आवश्यक है।

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) का खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रारुप अधिसूचना, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा जारी अधिसूचना का और संशोधन करने के लिए, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 4815 (अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

उक्त प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, मद 1(ग) के सामने,

(1) स्तंभ (2) में, क्र.सं. (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमसंख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(i) नदी घाटी और जल-विद्युत परियोजनाएं (आरवीएचईपी):-

(क) आरवीएचईपी बिना पंप भंडारण परियोजना;

(ख) आरवीएचईपी पंप भंडारण सहित परियोजना;

(ग) स्टैंडअलोन पंप भंडारण परियोजना; ।"

(2) स्तंभ (5) में, क्र.सं. (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iv) पंप भंडारण परियोजनाएं, जिनके अंतर्गत अपतटीय बंद लूप भी हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा पंप भंडारण परियोजनाओं के लिए जारी विशिष्ट निर्देश- निबंधन पर आधारित होंगी। ऐसी पंप भंडारण परियोजनाओं का मूल्यांकन जो नीचे विनिर्दिष्ट सभी मानदंडों को पूरा करेंगी, को विद्युत उत्पादन क्षमता पर विचार किए बिना बी 2 श्रेणी के रुप में किया जाएगा:-

(क) ऐसी परियोजनाएं जिनके लिए वन स्वीकृति और/या वन्य जीव स्वीकृति अपेक्षित नहीं है,

(ख) ऐसी परियोजनाएं जिनमें कोई नया जलाशय नहीं बनाया गया है;

(ग) ऐसी परियोजनाएं जिनमें विद्यमान जलाशय की क्षमता और जलाशय के जलमग्न क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं है ।

[फा. सं. आईए3-22/33/2022-आईए.III]

डा. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, में का.आ. सं. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 3194 (अ), तारीख 14 जुलाई, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2023

S.O. 2226(E).—WHEREAS, the erstwhile Ministry of Environment and Forest, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) has issued notification *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), regarding requirement of prior Environmental Clearance for the Projects covered in its Schedule;

And, whereas, in view of commitment for low-carbon pathway of development, it is necessary to have a smooth integration of renewable energy in the grid and to have greater grid safety and stability, there is growing need for energy storage and thereby the development of Pumped Storage Projects is critical.

And, whereas, Pump Storage Projects are considered in the category of hydropower Projects, for the purpose of Environmental Clearance.

And, whereas, the environmental impacts of such Projects are less as compared to classical hydro Projects as well as irrigation and water supply Projects and therefore there is a need to rationalise Environmental Clearance process for Pump Storage Projects.

And whereas, a draft notification for making further amendments in the notification of the erstwhile Ministry of Environment and Forest issued, vide S.O 1533(E) dated the 14th September, 2006 in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section(ii), vide number S.O. 4815(E) dated the 11th October, 2022, inviting objections or suggestions from the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the Public;

And, whereas, the objections and suggestions received in response to the said draft notification have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E) dated the 14th September, 2006, namely:-

In the said notification, in the schedule, against item 1 (c), -

(1) in column (2), for serial number (i) and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"(i) River Valley and hydro-electric Projects (RVHEPs): -

(a) RVHEPs without Pump Storage Projects;

(b) RVHEPs with Pump Storage Projects;

(c) standalone Pump Storage Projects."

(2) in column (5), after serial number (iii) and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"*(iv) Pump Storage Projects including off-stream closed loop shall be appraised based on specific Terms of Reference issued by the Central Government for Pump Storage Projects. The Pump Storage Projects which meet all the criteria specified below shall be appraised as B2 category irrespective of power generation capacity:-*

(a) Projects which do not attract Forest Clearance and/or Wild Life Clearance,

(b) Projects wherein no new Reservoir is created

(c) The Projects wherein there is no increase in capacity of the existing reservoir and in submergence area of reservoir."

[F. No. IA3-22/33/2022-IA.III]

DR. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and was last amended, *vide* notification number S.O.3194(E), dated the 14th July, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA